प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

गोवध करने वाले दो पेशेवर अपराधियों पर रा.सु.का के अन्तर्गत कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह के द्वारा जनपद में घटित गम्भीर अपराधों में कठोरतम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। जिस क्रम में थाना तंबौर पुलिस द्वारा गोकशी की घटना कारित कर लोक व्यवस्था प्रभावित करने वाले दो पेशेवर अभियुक्तों 1.फखरे आलम 2.खुर्शीद पुत्रगण समीउल्ला नि0गण मोहल्ला आजाद नगर थाना तंबौर जनपद सीतापुर के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (N.S.A.) 1980 की कार्यवाही की गयी है।

थाना तंबौर पुलिस द्वारा दिनांक 07.08.2020 को अभियुक्तगण 1. फखरे आलम 2.खुर्शीद पुत्रगण समीउल्ला नि0गण मोहल्ला आजाद नगर थाना तंबौर जनपद सीतापुर को गिरफ्तार किया गया था जिनके कब्जे से काफी मात्रा में प्रतिबंधित गौ मांस, मांस काटने के औजार बांका/छुरी/छोटी कुल्हाड़ी, एक अदद तराजू व विभिन्न प्रकार के बाट बरामद हुई थी। इस सम्बन्ध में थाना तंबौर पर मु0अ0सं0 251/2020 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व 7 सी.एल.ए. एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तगण को जेल भेजा गया था। अभियुक्तगण के उक्त कृत्य से जनमानस में काफी आक्रोश एवं भय व्याप्त हो गया था, जिससे लोक व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई। पर्याप्त पुलिस बल लगाकर स्थिति को सामान्य किया गया था तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समझाने बुझाने एवं संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी होने के बाद लोगो में विश्वास कायम हो सका। पंजीकृत अभियोग की विवेचना पूर्ण करते हुये दिनांक 13.09.2020 को अन्तर्गत धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 व 7 सी.एल.ए. एक्ट में आरोप पत्र 257/20 में माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण वर्तमान मे जिला कारागार सीतापुर मे बंद है। अभियुक्तगण जमानत पर बाहर आने हेतु प्रयासरत थे। **N.S.A. अधिरोपित किये जाने के फलस्वरूप दोनो अभियुक्तगण को अग्रिम एक वर्ष तक के लिए निरूद्ध किये जाने हेतु निरूद्धि आदेश जेल में तामील कराया गया।**

क्षेत्र की लोक व्यवस्था के अनुरक्षण हेतु व्यापक लोकहित मे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा चलाये गये रोकथाम अपराध व अपराधियों पर लगाए जाने अंकुश के तहत

अभियुक्तगण 1. फखरे आलम 2.खुर्शीद पुत्रगण समीउल्ला नि0गण मोहल्ला आजाद नगर थाना तंबौर जनपद सीतापुर के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (N.S.A.) की कार्यवाही की गयी है। कार्यवाही से जनमानस मे पुलिस के प्रति विश्वास एवं अपराधियों के मध्य कड़ा संदेश प्रेषित हुआ है।

अभियुक्त का नाम पता-

1. फखरे आलम पुत्र समीउल्ला नि0 मोहल्ला आजाद नगर थाना तंबौर जनपद सीतापुर
2. खुर्शीद पुत्र समीउल्ला नि0 मोहल्ला आजाद नगर थाना तंबौर जनपद सीतापुर

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास

- **फखरे आलम पुत्र समीउल्ला नि0 मोहल्ला आजाद नगर थाना तंबौर जनपद सीतापुर**

1. मु0अ0सं0 98/11 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना तंबौर जनपद सीतापुर
2. मु0अ0सं0 146/18 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना तंबौर जनपद सीतापुर
3. मु0अ0सं0 297/19 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना तंबौर जनपद सीतापुर
4. मु0अ0सं0 386/19 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना तंबौर जनपद सीतापुर
5. मु0अ0सं0 251/20 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 7 सी.एल.ए. एक्ट थाना तंबौर जनपद सीतापुर
6. मु0अ0सं0 296/20 धारा 2/3 यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट थाना तंबौर जनपद सीतापुर

- **खुर्शीद पुत्र समीउल्ला नि0 मोहल्ला आजाद नगर थाना तंबौर जनपद सीतापुर**

1.मु0अ0सं0 145/10 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना तंबौर जनपद सीतापुर
2.मु0अ0सं0 368/19 धारा 11 ख पशु क्रूरता अधिनियम थाना तंबौर जनपद सीतापुर
3.मु0अ0सं0 251/20 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 7 सी.एल.ए. एक्ट थाना तंबौर जनपद सीतापुर
4.मु0अ0सं0 296/20 धारा 2/3 यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट थाना तंबौर जनपद सीतापुर